



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939

No. 105]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सं. मा. सं. प्र./56/2016/आयुक्त संवर्ग.— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती नियम 1999 में संशोधन हेतु, एतद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती (संशोधित) नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती नियम 1999,-

(क) नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

(ख) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II	299* (2018) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'क' गैर- अनुसूचित	लेवल-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा ।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त के मूल पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। नोट:- जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, कि पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अवधि की सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, इसमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त - अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य iii. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./478/2017-18]

नोट:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II) भर्ती नियम, 1999 दिनांक 30 अगस्त, 1999 के जी.एस.आर. संख्या 284 के तहत भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए और अंतिम बार दिनांक 14 मार्च, 2011 को संख्या मा.सं.वि./ए-1(1)2010/भ.नि./क्षे.भ.नि.आ. - II के तहत संशोधित किए गए और 02 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(EMPLOYEE PROVIDENT FUND ORGANISATION)****NOTIFICATION**New Delhi, the 16th March, 2018

No. HRD/56/2016/RR/Commissioner cadre.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, Employees Provident Fund, hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999,-

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2.Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II	299*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' (Non-Ministerial)	Level – 11 (Rs. 67,700 – 2,08,700)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officers holding the substantive post of	Departmental Promotion	Consultation with Union

Assistant Provident Fund Commissioner Grade with five years' regular service in the Grade.	Committee (for considering promotion) consisting of:- (a) Central Provident Fund Commissioner – Chairman. (b) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment – Member. (c) Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs) – Member.	Public Commission is not necessary.”
Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and
Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./478/2017-18]

Note.- The Employees' Provident Fund Organisation (Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II) Recruitment Rules, 1999 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* number G.S.R. 284, dated the 30th August, 1999 and was last amended *vide* number HRD/A-1(1)2010/RR/RPFC-II dated the 14th March, 2011, published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 2nd April, 2011.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.16
22:35:29 +05'30'